

प्रेषक,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।


महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादून: दिनांक 22 मई, 2018
विषय- किशोरी, बालिकाओं एवं महिलाओं हेतु सेनेटरी नैपकिन व्यवस्था योजनान्तर्गत आगनवाड़ी कार्यकर्तियों/महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सेनेटरी नैपकिन विक्रय के सापेक्ष पारितोषित धनराशि (Margin Money) प्रदान विषयक प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 106/282/UWCDS/2017-18 दिनांक 21 मई 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से दिनांक 28.05.2018 को "Menstrual Hygiene Day (विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस)" का आयोजन किये जाना है जिसमें किशोरी, बालिकाओं एवं महिलाओं के व्यक्तिगत स्वच्छता एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से समस्त जनपदों के आंगनवाड़ी केन्द्रों/महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन का विक्रय न्यूनतम दर से किया जाने तथा उनके माध्यम से विक्रय किये गये सेनेटरी नैपकिन के सापेक्ष पारितोषिक धनराशि (Margin Money/ Incentive) का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किशोरी, बालिकाओं एवं महिलाओं हेतु सेनेटरी नैपकिन व्यवस्था योजनान्तर्गत आगनवाड़ी कार्यकर्तियों/महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सेनेटरी नैपकिन विक्रय के सापेक्ष पारितोषित धनराशि (Margin Money) प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

1. "स्पर्श" राज्य स्तरीय सेनेटरी नैपकिन के चयन, परीक्षण एवं मूल्यांकन कमेटी में लिये गये निर्णयानुसार सेनेटरी पैड के नमूनों को ISI मार्क एवं BIS के मानकों के अनुसार पंजीकृत फर्म से ही लिये जाने के दृष्टिगत GEM में भारतीय सेल्स, नागपुर, महाराष्ट्र फर्म L1 पायी गयी, न्यूनतम दर से मूल्य ₹14.80/- प्रति पैकेट (8 पैड) को 10000 पैकेट क्रय किया जाना है।
2. Menstrual Hygiene Day (विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस) के अवसर पर मा0 राज्य मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा दिये जाने एवं समुदाय में जन-जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु प्रथमतः 10,000 सेनेटरी पैड किशोरी, बालिकाओं एवं महिलाओं को निःशुल्क वितरित किया जाना है।
3. Menstrual Hygiene Day (विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस) के शुभारम्भ के अवसर पर समस्त जनपदों में आयोजित करने के उपरान्त कुल 105 परियोजना को 500 सेनेटरी नैपकिन पैकेट प्रति परियोजना हेतु कुल धनराशि ₹52,500 सेनेटरी नैपकिन पैकेट को क्रय कर विक्रय किया जाना होगा।
4. आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों/महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से उक्त सेनेटरी पैकेट विक्रय प्रारम्भ किया जायेगा, जिसके सापेक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों/महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रति पैकेट के विक्रय पर ₹2/-पारितोषिक धनराशि इस उद्देश्य से प्रदान की जायेगी कि महिला एवं किशोरियों में व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देकर सेनेटरी नैपकिन के प्रयोग के सम्बन्ध में जागरूक करेगी, चूंकि सेनेटरी पैड के विक्रय का कार्य अतिरिक्त रूप से उक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किये जाने के कारण पारितोषिक धनराशि दिया जाना उचित होगा।
5. सेनेटरी नैपकिन का क्रय जनपदों की मांग पर GEM के माध्यम से धनराशि ₹14.80 प्रति सेनेटरी पैकेट (8 पैड) समिति द्वारा समय-समय पर क्रय किया जायेगा, जिसको आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से "स्पर्श" पैड के नाम से ₹15.00/- प्रति पैकेट के दर से विक्रय किया जायेगा। उपरोक्त क्रय एवं विक्रय के मूल्य के अन्तर धनराशि 0.20 पैसे को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले पारितोषिक में सम्मिलित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को विभाग की तरफ से मात्र ₹1.80 का ही व्यय वहन पारितोषिक के रूप में किया जायेगा। सेनेटरी नैपकिन के मूल्य परिवर्तित होने की दशा में उक्त क्रय विक्रय के मूल्य के अंतर का Ratio को यथावत् रहेगा। साथ ही आगामी कार्ययोजना के तहत सेनेटरी नैपकिन पैड राज्य के मुख्य स्थानों में वैडिंग



मशीन के माध्यम से भा. विक्रय किया जायेगा, जिस हेतु वाङ्ग मशान में उपयोग में लाय जाय बाल सेनेटरी पैड 4 से 5 पैड प्रति पैकेट होंगे, जिसकी अनुमानित लागत ₹9/- से ₹10/- के मध्य हो सकती है।

6. आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सेनेटरी पैकेट के विक्रय की धनराशि को बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से निदेशक/उपाध्यक्ष, मा0स0एवंबा0वि0 के पदनाम से खोले गये बचत खाते में जमा किया जायेगा, जिसका समस्त लेखा-जोखा एवं आय-व्यय उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग योजनान्तर्गत ही रखा जायेगा। उक्त खाते को कार्पस फण्ड के रूप में संचालित किया जायेगा। भविष्य में सेनेटरी पैड के क्रय-विक्रय उक्त खाते से ही संचालित किया जायेगा।
7. आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा त्रैमासिक आधार पर विक्रय की गयी सेनेटरी नैपकिन की सूची के साथ पारितोषिक धनराशि का बिल बाउचर बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कर प्रेषित किया जायेगा तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ही सेनेटरी नैपकिन पैड का भण्डार पंजीका का उचित प्रकार से रख-रखाव भी किया जायेगा।
8. जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर से त्रैमासिक आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा विक्रय की गयी सेनेटरी पैड का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने पर आगामी भण्डारण हेतु राज्य स्तर को सेनेटरी नैपकिन पैड की मांग प्रेषित की जायेगी।
9. निदेशालय द्वारा उक्त योजना के संचालन, परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये जायें तथा जनपद स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का सोशल आडिट भी किया जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 731 (1)/XVII(4)/2018-5(102)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त नियन्त्रक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. राज्य परियोजना अधिकारी, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।